

(प्रपत्र-23)

परियोजना का नाम - मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदसू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई- 4.00 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से सडक मार्ग के अन्तर्गत चिन्हित वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


वन क्षेत्रधिकारी
लांघा रेंज


उप-प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी 30 से 0 वन प्रभाग,
कालसी वन प्रभाग
कालसी।

(प्रपत्र-24)

परियोजना का नाम - मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई- 4.00 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना में न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या ~~न्यूनतम~~ ^{न्यूनतम} है।


को


AAE


सहायक अभियन्ता-1
निर्माण खण्ड लो० वि० वि०
देहरादून


B. B. 200.


वन क्षेत्र अधिकारी
लांघा रेंज, लांघा


अभिमानो अभियन्ता
परियोजना एजेन्सी
देहरादून।


उप-प्रभागीय वन अधिकारी
सहस्रपुर जंगल वन प्रभाग,
कालसी।


प्रभागीय वन अधिकारी
कालसी जंगल वन प्रभाग,
कालसी।